न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 44/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1 तेजसिंह		राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी
2 लादुसिंह		तहसीलदार सुमेरपुर
3 छैलसिंह पि0 रणजीतसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण धनापुरा तहसील सुमेरपुर		

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 16.3.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2011 तेजसिंह वगैरा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत कर ग्राम बापुनगर के गत खसरा नम्बर 950 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1360 रकबा 4.50 हैक्टेयर की भूमि पर सम्वत् 2009 से लगातार कब्जा काश्त होने के कारण खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने के पश्चात तनकीयात कायम की गई। इसके पश्चात पत्रावली शहादत वादी में नियत की गई एवं वादी की शहादत बन्द किऐ बिना ही राजस्व लोक अदालत कैम्प पालडी जोड में दिनांक 12.05.2016 को बिना शहादत लिए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश का यह आधार लिया गया है कि उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भूमि नगरपालिका की सीमा में स्थित है तथा भूमि सिलिंग प्रभावित है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया, इस कारण अपीलाण्ट इन समस्त तथ्यों का खण्डन नहीं कर सका। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानते हुए, बिना साक्ष्य लिए किसी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना विधि के सिद्धान्तों के विपरित है। पूर्व में यह भूमि नरतपसिंह राव की जागीरीसुदा आराजी थी, जो बाद में नरपतसिंह द्वारा अन्तरित की भूमि के सम्बन्ध में सिलिंग प्रकरण चला, किन्तु जैर अपील वादस्थ भूमि न तो सरप्लस हुई एवं न ही अपीलाण्ट उक्त भूमि का खातेदार रहा। इस स्थिति में यह भूमि सिलिंग से प्रभावित नहीं थी, इस कारण अपीलाण्ट उक्त भूमि की खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त यदि भूमि नगरपालिका की परिधी में आती तो, उसकी अधिसूचना प्रकाशित होती एवं यदि भूमि नगरपालिका सीमा में आ भी जाती है, तो भूमि खातेदारी अधिकारों की घोषणा को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदारी घोषणा के लिए ऐसा कोई प्रावधान हक को प्रतिबन्धित करने के लिये नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को किसी भी रूप में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए अपीलाण्ट को जैर अपील वादस्थ भूमि का खातेदार घोषित करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। जैर अपील वादस्थ भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर खाता संख्या 1 में दर्ज है। यदि अपीलाण्ट उक्त भूमि पर किसी भी रूप में काबिज है, तो वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिसे विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में विधि विरूद्ध माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 188 के तहत वाद प्रस्तुत कर ग्राम बापूनगर के खसरा नम्बर 1360 रकबा 4.51 हैक्टेयर की भूमि का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया तथा साथ ही प्रतिवादी को वादस्थ भूमि में अपीलाण्ट के कब्जे में दखल अन्दाजी से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी का वाद खारिज कराने का निवेदन किया। इसके पश्चात उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 03.07.2014 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रकरण में कुल 7 तनकीयात कायम की गई। इसके पश्चात से पत्रावली शहादत वादी में नियत रही एवं दिनांक 12.05.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प पालडी जोड में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर उस जांच रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई एवं वादी का वाद खारिज किया गया। प्रकरण का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय करने से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के वे प्रावधान, जो राजस्व न्यायालय पर लागू होते है तथा प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से आवश्यक एवं आज्ञापक है, उनकी समुचित पालना नहीं की गई है। प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक तनकी को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने हेतु प्रत्येक पक्षकार को साक्ष्य/शहादत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक है। यदि किसी प्रकार को साक्ष्य प्रस्तुत करने/साक्ष्यों से जिरह करने/पुनः परीक्षण करने का समुचित अवसर नहीं दिया जाता है, तो पारित निर्णय पर प्रश्नचिन्ह लगता है, जो न्यायोचित नहीं है। विभिन्न न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई के अवसर दिये बिना पारित किए गए निणयों को विधि विरूद्ध मानते हुए अपास्त किया है तथा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार भी पक्षकारान को अपना वाद/तथ्यों को साबित करने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। हस्तगत प्रकरण में बिना साक्ष्य लिए, साक्ष्य बन्द कर राजस्व लोक अदालत में वाद का खारिज किया जाना, विधि सम्मत नहीं है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार पक्षकारान का साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2011 तेजसिंह वगैरा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.05.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवार विनिश्चय करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.3.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली